

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

भगवाना

बनाम

बाबूलाल वगै०

कदमा नं० :- 348/2024

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवागई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।</p>	
	09.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 133/4 रकबा 0.0506है०, खसरा नम्बर 133 5 रकबा 1.9220है०, खसरा नम्बर 133/6 रकबा 0.2529है०, खसरा नम्बर 133/7 रकबा 0.3035है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.5290है० वाकै ग्राम पालेडा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम पालेडा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 133/4 रकबा 0.0506है०, खसरा नम्बर 133 5 रकबा 1.9220है०, खसरा नम्बर 133/6 रकबा 0.2529है०, खसरा नम्बर 133/7 रकबा 0.3035है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.5290है० में यदि मौकै पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर